मंडल की 3 अगस्त 2021 को हुई बैठक में लिए गये निर्णय

अनु. क्र.	संकल्प संख्या	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
1.	93	30 जून 2021 को आयोजित मंडल की बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि.	मंडल की 30.6.2021 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की जाती है.	सामान्य प्रशासन
2.	94	इंदिरा कंटेनर टर्मिनल प्रा.लि, दावेदार, तथा मुंबई पोर्ट ट्रस्ट (एमबीपीटी) का न्यासी मंडल, प्रतिवादी, के बीच विवाचन कार्यवाही. - विवादों को समाधान तथा समझौता समिति के पास भेजने हेतु अनुमोदन के लिए अनुरोध	आइपीए द्वारा दिनांक 4.5.2021 के कार्यालय आदेश संख्या आइपीए/ लीगल/कंसि.कमिटी/2020 के तहत गठित समाधान तथा समझौता समिति को मामले को भेजने हेतु अनुमोदन प्रदान किया.	स्थापत्य
3.	95	तट रक्षक क्षेत्र (पश्चिम), भारतीय तट रक्षक को 30 वर्ष के लिए पट्टा आधारपर मॅलेट बंदर, मुंपोट्र स्थित 1339.47 चौ.मीटर भूमि का आबंटन.	चर्चा के बाद, मंडल ने निम्न को अनुमोदन प्रदान किया - (i) अपफ्रंट प्रिमियम, वार्षिक किरायों, सेवा प्रभारों, करों, आदि सहित भुगतानों में हुए किसी भी विलंब के लिए 15% के दर से ब्याज वसूल करना, (ii) परिसर को खाली करने के लिए नोटिस अवधि को 12 महीनों तक बढाना, (iii) दर मानों के प्रस्तावित दर में आगे कोई भी रियायत मंजूर न करना, (iv) आगे 30 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे को बढाने हेतु करार में नवीनीकरण शर्त के तट रक्षक के अनुरोध को स्वीकार न करना, (v) यदि ₹34,51,69,815.09 (जीएसटी सहित) के अपफ्रंट प्रिमियम का भुगतान 60 दिनों की समय सीमा के अंदर नहीं किया गया तो 15% प्रतिवर्ष के दर से ब्याज वसूल करना.	संपदा

अनु. क्र.	संकल्प संख्या	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
4.	96	4 थी मंजिल, निर्माण भवन, मझगांव स्थित आइपीआरसीएल तथा आएपीजीपीएल कार्यालयों के संबंध में 14.5.2018 से प्रभावी 13.5.2023 तक के 60 महिनों के लिए नई लीव्ह एण्ड लाइसेंस को मंजूरी.	चर्चा के बाद, मंडल ने निम्न को अनुमोदन प्रदान किया - (i) टिप्पणी के पैरा 9 में दी गई शर्तो तथा निबंधनों पर 4 थी मंजिल, निर्माण भवन स्थित 750.83 चौ.मीटर मापन की आइपीआरसीएल कार्यालय जगह के लिए नई लीव्ह एण्ड लाइसेंस अवधि मंजूर करना. (ii) टिप्पणी के पैरा 10 में दी गई शर्तों तथा निबंधनों पर 4 थी मंजिल, निर्माण भवन स्थित 166.85 चौ.मीटर मापन की आइपीजीएल कार्यालय जगह के लिए नई लीव्ह एण्ड लाइसेंस अवधि मंजूर करना. (iii) अनुज्ञाप्तिधारी ने अपना नाम इंडियन पोर्ट रेल एण्ड रोपवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के रुप में संशोधित किया है, अत: कार्यालय के रिकार्ड में इंडियन पोर्ट रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम में परिवर्तन प्रभावी करना, (iv) अनुज्ञाप्तिधारी ने अपना नाम इंडिया पोर्टर्स ग्लोबल लिमिटेड के रुप में संशोधित किया है, अत: कार्यालय के रिकार्ड में इंडिया पोर्ट ग्लोबल प्रा.लि. के नाम में परिवर्तन प्रभावी करना. (v) टिप्पणी के पैरा 6 में दिये गए आइपीआरसीएल के अनुरोध के अनुसार आइपीआरसीएल को 3 री मंजिल, निर्माण भवन, मझगांव, मुंबई स्थित अतिरिक्त कार्यालय जगह के आबंटन हेतु प्रस्ताव को रद्द माना जाए,	संपदा

अनु. क्र.	संकल्प संख्या	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
			(vi) आइपीआरसीएल तथा आइपीजीएल को क्रमश: ₹1,12,08,016.89 तथा ₹30,38,453.60 के पहले ही दिये गए बिलों में से महानगरपालिका करों की छँटनी को प्रभावी करना, (vii) इंडियन पोर्ट रेल कार्पोरेशन लिमिटेड (आइपीआरसीएल) तथा इंडिया पोर्ट ग्लोबल प्रा.लि (आइपीजीपीएल) को तत्काल प्रभाव से जल प्रभारों के बिल जारी करना.	
5.	97	आबादइंडिया अशोअर बेस रिसोर्सेस को जगह के आबंटन में विस्तारण. -निविदा संख्या टीएम/आइडी/ 01/2018	आबादइंडिया अशोअर बेस रिसोर्सेस को आगे 6 माह की अवधि के लिए (4.7.2021 से) अथवा जब तक नई निविदा प्रदान नहीं की जाती तब तक, इसमें से जो भी पहले हो, तब तक 14 व्हिक्टोरिया गोदी में अपतटीय गतिविधियाँ चलाने हेतु आच्छादित क्षेत्र के लिए 1000 चौ.मी की खुली जगह तथा 500 चौ.मी की आच्छादित जगह उपयोग हेतु, वर्तमान निविदा के खुले क्षेत्र के लिए ₹615 के दर से तथा आच्छादित क्षेत्र के लिए ₹681 के दर से लाइसेंस फीस या पहले ही प्राप्त निविदा में प्रदान किये गये तथा स्वीकृत किये गये H1 दर, इसमें से जो भी उच्चतर हो, ऐसे विस्तार प्रदान करने के लिए मंडल ने अनुमोदन दिया.	यातायात

अनु. क्र.	संकल्प संख्या	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
6.	98	निविदा सं.टीएम/आइडी/03/2019. - 10, इंदिरा गोदी, मुंबई पोर्ट स्थित चिन्हित क्षेत्र के अंदर अपतटीय गतिविधियों अर्थात सुविधाओं, कार्गो सम्हलाई उपकरण के संस्थापन के साथ या सिवाय, भंडराण/कार्गो प्रचालनों हेतु खुली/आच्छादित जगह के आबंटन हेतु लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए पॉलीड्रिल इंजिनियर्स प्रा.लि. का अनुरोध.	पॉलिड्रिल इंजीनियर्स प्रा. लि. को 29.6.2021 से 28.5.2022 तक आगे 11 महिनों की अवधि के लिए अपतटीय गतिविधियाँ चलाने के लिए 10 इंदिरा गोदी स्थित 300 चौ.मीटर के संपूर्ण आच्छादित क्षेत्र के आबंटन हेतु लाइसेंस को आच्छादित क्षेत्र के लिए ₹379.60 प्रति चौ. मीटर अथवा उसके भाग के लिए प्रति माह अथवा उसके भाग के लिए लाइसेंस फीस के साथ यथा लागू करों तथा उपकरों को जोडकर भुगतान करने पर (अर्थात वर्तमान लाइसेंस फी के अतिरिक्त 4% वृध्दि के दर से) तथा निविदा कागजात में निर्धारित समान शर्तों तथा निबंधनों का अनुपालन करने पर, विस्तारित करने के लिए मंडल ने अनुमोदन प्रदान किया.	यातायात
7.	99	पीपीपी आधारपर 18 से 21 आइडी हारबर दीवार पोतघाटों का आउटसोर्सींग करने हेतु रुचि की अभिव्यक्ति (इओआइ).	चर्चा के बाद, मंडल ने ओपन एंडेड इओआइ को आमंत्रित करने को तथा बाद में आरएफपी की आगे की राह के लिए राय लेने को अनुमोदन प्रदान किया ***(सर्वश्री सुधाकर अपराज तथा केरसी पारेख असहमत)***	यातायात
8.	100	निविदा सं. डीसी-03/2020 - दो मूरिंग लाँचेस को पाँच वर्ष के लिए तथा आगे दो वर्ष की विस्तारणीय अवधि के लिए किराये पर लेना.	मंडल ने निम्न को अनुमोदन प्रदान किया- (i) संविदा को प्रदान करनें हेतु ₹14,550 प्रति लाँच प्रति दिन से प्रोफेशनल शिप मॅनेजमेंट प्रा. लि. के L-1 प्रस्ताव का स्वीकार करने को, (ii) वर्तमान बजट प्रावधान को उपयुक्त नुसार वर्धित करने को. ***(सर्वश्री सुधाकर अपराज तथा केरसी पारेख असहमत)***	समुद्री

अनु. क्र.	संकल्प संख्या	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
9.	101	निविदा सं. एमइइडी 06/2021 - मुंबई पोर्ट ट्रस्ट स्थित प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रिय क्रुज टर्मिनल के लिए विद्युत कार्य.	मंडल ने निम्न को अनुमोदन प्रदान किया- (i) स्टर्लिंग एण्ड विल्सन प्राइव्हेट लिमिटेड को प्रदान की गई निविदा सं.एमइइडी 10/2019 को समाप्त करने को, (ii) निविदा सं.एमइइडी 10/2019 के लिए स्टर्लिंग एण्ड विल्सन प्राइव्हेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत ₹30,00,000 राशि के बयाना धन जमा के प्रति बैंक गारंटी को जब्त करने को. (iii) निविदा को रखी लागत, पूर्व अर्हता निकष तथा मात्राओं के बिल में बिना कोई परिवर्तन के विषयाधीन कार्य के लिए नई खुली निविदा पुन: आमंत्रित करने हेतु कार्योत्तर अनुमोदन को, (iv) निविदा सं.एमइइडी 06/2021 के लिए स्टर्लिंग इलोक्ट्रो एंटरप्राइज प्रा.लि., मुंबई के सभी करों तथा शुल्को को सम्मीलित कर के ₹14,78,86,223.44 राशि के न्यूनतम प्रस्ताव का स्वीकार करने को.	यांत्रिक तथा विद्युत अभियांत्रिकी
10.	102	निविदा सं. एमइइडी 07/2021 - प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रिय क्रूज टर्मिनल के एमइपी कार्य हेतु परियोजना प्रबंधन परामर्शी सेवाएँ.	मंडल ने निम्न को अनुमोदन प्रदान किया- (i) प्रस्तावित मुंबई अंतर्राष्ट्रिय क्रूज टर्मिनल के लिए एमइपी कार्य हेतु परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता की नियुक्ति करना.	यांत्रिक तथा विद्युत अभियांत्रिकी

अनु. क्र.	संकल्प संख्या	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
			(ii) टिप्पणी के पैरा 11 में उल्लिखित विशेषज्ञ स्थानों तथा अवधि के लिए सभी करों तथा शुल्कों को सम्मिलित करके ₹1,05,02,000 राशि के आइआरक्लास सिस्टम एण्ड सोल्यूशंस प्रा.लि. के न्यूनतम प्रस्ताव को स्वीकार करना. (iii) आइआरक्लास सिस्टम एण्ड सोल्यूशंस प्रा.लि. को स्वीकृति पत्र (एमओए) जारी करने के लिए कार्यात्तर अनुमोदन प्रदान करना.	
11.	103	निविदा सं. एमइइडी. 08/2021 हेतु बयाना धन जमा को छूट प्रदान करने के लिए कार्योत्तर अनुमोदन.	मंडल ने ₹1,00,000 राशि के बयाना धन जमा को छूट प्रदान करने तथा निविदा प्रक्रिया को अंतिम रुप देने के लिए अनुमोदन प्रदान किया.	यांत्रिक तथा विद्युत अभियांत्रिकी
12.	104	निविदा सं.इ.108/2017 - पीपीपी मॉडेल पर इंदिरा गोदी मुंबई स्थित अंतर्राष्ट्रिय क्रूज टर्मिनल तथा 15, व्हिक्टोरिया गोदी, मुंबई स्थित घरेलू क्रूज टर्मिनल के प्रस्तावों के लिए विधिक तकनीकी तथा वित्तीय व्यवहार करने हेतु दो वर्ष की अवधि के लिए व्यवहार सलाहकारो की फर्मों से तकनीकी, विधिक तथा वित्तीय विशेषज्ञों की नियुक्ति - समयावधि में विस्तार, अतिरिक्त निष्पादन तथा संशोधित लागत प्राक्कलन को मंजूरी.	मंडल ने निम्न को अनुमोदन प्रदान किया- (i) विषयाधीन संविदा के लिए समयावधि में 27.8.2021 तक नौ महीनों के विस्तारण को तथा यातायात विभाग द्वारा प्रदान किए गए अतिरिक्त कार्य हेतु 1.9.2021 तक विस्तारण को. (ii) जीएसटी को छोडकर ₹2,49,00,000 के निविदा मूल्य के उपर जीएसटी को छोडकर ₹1,03,75,000 राशि के परिणामी अतिरिक्त निष्पादन को. (iii) 18% जीएसटी तथा 3% आकस्मिकता को सम्मिलित करके रु4,28,73,235 राशि के संसोधित प्राक्कलन संख्या सीई. 20/2021-22 को.	संपदा

अनु. क्र.	संकल्प संख्या	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
13.	105	निविदा सं.ई.10/2021 - मुंबई पोर्ट के रायगड जिले में कान्होजी आंग्रे द्वीप (खांदेरी किला) स्थित पर्यटन विकास गतिविधियों के लिए व्यापक दिशानिर्देशो का गठन करने के साथ द्वीप पर मौजूद पुरातन अवशेषों का सुस्थिति में प्रलेखन करने के लिए संरक्षक वास्तुकार की नियुक्ति.	चर्चा के बाद, मंडल ने संरक्षक वास्तुकार के रुप में संक्रमण डिजाइन स्टुडिओ के निम्नतम प्रस्ताव ₹12,50,000, जीएसटी को छोडकर, का स्वीकार करने को अनुमोदन प्रदान किया.	स्थापत्य
14.	106	मुंपोट्र अस्पताल के कोविड -19 रोगियों के लिए पीपीइ किटों तथा ऑक्सीजन कॅांसंट्रेटर का दान.	चर्चा के बाद, मंडल ने कोविड रोगियों के प्रबंधन के लिए मुंपोट्र अस्पताल को वॅन हाइ लाइन्स (इंडिया) प्रा.लि. द्वारा अंशदान किये गए 1500 संख्या पीपीइ किटों तथा 5 संख्या ऑक्सीजन कॉंसंट्रेटरों (5 लिटर) का स्वीकार करने को अनुमोदन प्रदान किया.	चिकित्सा
15.		ग्रॅंड पोर्ट अस्पताल (जीपीएच) (मुंपोट्र अस्पताल) के अधीन आबंटित सीपीएस विद्यार्थियों को निवासी डॉक्टरों के रुप में मुंपोट्र अस्पताल में कार्य करने हेतू अनुमति-संबंधी	मंडल ने प्रस्ताव स्थगित किया	चिकित्सा
16.		डॉ. सुनिता छपोला शुक्ला, पूर्व - वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (विशेषज्ञ- इएनटी) की 31.3.2023 अथवा अस्पताल की रियायतग्राही को सुपुर्दगी, जो भी पहले हो, तब तक मुंपोट्र अस्पताल में ॲलर्जी की विशेषज्ञ शाखा में अंशकालीन परामर्शदाता के रुप में नियुक्ति.	मंडल ने प्रस्ताव स्थगित किया	चिकित्सा
17.	107	मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के जीएसटी पंजीकरण (जीएसटीआइएन - 27एएएटीएम5001डी1झेड6) में प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं मे जोड/लोप/अद्यतनीकरण.	मंडल ने वित्त विभाग के निम्नलिखित अधिकारियों को मंडल की ओर से जीएसटी रिटर्नस् दायर करने तथा जीएसटी संबंधित सभी कार्य संभालने के लिए मुख्तारनामा प्रदान करने को अनुमोदन प्रदान किया: (i) श्रीमती पी.एम.दाभोलकर, उ.मु.ले.अ-I	वित्त

अनु. क्र.	संकल्प संख्या	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
			(ii) श्री पी.पी. राव, उ.मु.ले.अ-II (iii)श्री पी.सी. प्रजापति, उ.मु.ले.अ-III (iv)श्रीमती पी.पी.देसाई, उ.मु.ले.अ-IV	
18.	108	जहाज एमव्ही दर्या महेश, आइजीएम संख्या 2239158 दिनांक 14.11.2019 का यलो पीज के पोतभार के लिए भंडारण अवधि को विस्तार हेतु अनुरोध.	मंडल ने भंडारण प्रभारों के अग्रिम भुगतान की शर्त पर एमव्ही दर्या महेश के पोतभार के लिए ₹3.95 प्रतिटन प्रति दिन के रियायती दर पर आगे 90 दिनों के लिए अथवा पुनर्निर्यात की तिथि, जो भी पहले हो, तक (पहले के अनुमत 540 दिनों के उपर) दीर्घावधि भंडारण को विस्तार प्रदान करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया.	यातायात
19.	109	निवदिा सं.ई.14/2021 - मुंबई पोर्ट परियोजनाओं हेतु व्यवहार परामर्शी सेवाओं को प्रदान करने के लिए परामर्शदाता का चयन.	मंडल ने निम्न को अनुमोदन प्रदान किया- (i) विषयाधीन कार्य के लिए 18% जीएसटी तथा 3% आकस्मिताओं सम्मिलित करके ₹210.26 लाख राशि के प्राक्कलन संख्या सीई-33/2021-22 को, तथा (ii) 24 महिनों की अवधि के लिए जीएसटी को छोडकर ₹1.73 करोड राशि के क्रिसिल रिस्क एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर सोल्यूशंस लिमिटेड (न्यूनतम तथा प्रथम रैंक) के प्रस्ताव को स्वीकार करने को .	स्थापत्य
20.	110	गोदियों तथा अन्य प्रचालनीय क्षेत्रों में मलेरिया प्रतिबंधात्मक कार्य का आउटसोर्सिंग	चर्चा के बाद, मंडल ने गोदियों के अंदर तथा प्रचालनीय क्षेत्रों में मलेरिया प्रतिबंधात्मक कार्य के आउटसोर्सिंग के लिए अनुमोदन प्रदान किया.	स्थापत्य
21	111	कर्मचारियों के सेवा के दौरान मृत्यु के मामलों के संबंध में अनंतिम परिवार पेंशन, उपदान का भुगतान तथा अन्य देयों का निपटारा - संबंधी	मंडल ने कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, पेंशन तथा पेंशनरों के कल्याण का विभाग, के कार्यालय ज्ञापनों तथा अर्थ सरकारी पत्र में अंतिर्विष्ट अनुदेशों को अपनाने के लिए अनुमोदन प्रदान किया.	वित्त

अनु. क्र.	संकल्प संख्या	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
22	112	आयात कृषि उत्पादों के लिए भंडारण सुविधाओं तथा बाहरी क्षेत्रों में 180 दिनों तक के और गोदियों के अंदर 60 दिनों तक के रियायती भंडारण का विस्तारण	मंडल ने न्या.सं.सं 124 दिनांक 30.7.2020 के अधीन सुविधा को 1.8.2021 से प्रभावी एक वर्ष की अवधि के लिए विस्तारित करने तथा तत्पश्चात उसकी समीक्षा करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया. उक्त सुविधा के लिए भंडारण प्रभार प्रचलित दरमानों के अनुसार होंगे तथा समय समय पर होनेवाले संशोधन की शर्तपर होंगे.	यातायात
23	113	मुंपोट्र संपदा- चरण - IV में पे एण्ड पार्क का प्रचालन तथा प्रबंधन - निविदाओं को आमंत्रित करने हेतु पूर्व अर्हता निकषों तथा शर्तों तथा निबंधनों को अनुमोदन.	मंडल ने निम्न को अनुमोदन प्रदान किया- (i) टिप्पणी के पैरा 2 में विस्तृत विवरण तथा पैरा 3 में सारांशीकृत विवरण के अनुसार पूर्व अर्हता निकषों के साथ निविदाएँ आमंत्रित करने को, (ii) मंडल द्वारा न्यासी संकल्प सं. 182 दिनांक 24.11.2020 के तहत अनुमोदित सामान्य शर्तों तथा निबंधनों को, बयाना धन जमा के सिवाय (हालही के सरकार के निदेशों के अनुसार) अपनाने को तथा भविष्यलक्षी बोलीकर्ताओं से "बोली सुरक्षा घोषणापत्र" प्राप्त करने को.	स्थापत्य
24	114	डब्ल्यूआइएनसी स्थित अपतटीय संबंधी सामग्री के लिए खुले भंडारण क्षेत्र के विस्तार हेतु ग्लोबोट्रान्स प्रोलॉजिस्टिक्स का अनुरोध.	मंडल ने ग्लोबोट्रान्स प्रोलॉजिस्टिक्स प्रा.लि. के डब्यूआइएनसी स्थित उनके अपतटीय संबधी सामग्री के भंडारण हेतु 21.8.2021 से आगे तीन महीनों के विस्तार के लिए अनुरोध को अनुमोदन प्रदान किया. विषयाधीन प्रस्ताव के लिए दरें दरमानों के दरोपर अथवा पहलेसेही प्राप्त निविदा में दिये प्रदानित तथा स्वीकृत H1 दर जो भी उच्चतर हो, उसके अनुसार केवल प्रस्तावित विस्तारण की समाप्ति तक होगी.	यातायात

अनु. क्र.	संकल्प संख्या	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
25	115	सभी कृषि उत्पादों के लिए शहर में वापस आनेवाले पोतभार से संबंधित सुविधा को विस्तार प्रदान करना.	चर्चा के बाद, मंडल ने निम्न को अनुमोदन प्रदान किया - (i) सभी कृषि उत्पादों के लिए न्यासं. सं 44 दिनांक 27.5.2021 द्वारा सोयामील पोतभार के लिए यथा अनुमोदित रोक कर रखे/शहर में वापस आनेवाले पोतभार हेतु सुविधा के विस्तारण को; तथा (ii) विषयाधीन मामले में परिपत्र में चीनी, चावल, सोयामील, गेहूँ, मका, कपास, तेलबीज, चाय, कॉफी, मसाले, तम्बाखू, फलों तथा सब्जियों जैसे आयात कृषि उत्पादों को सम्मिलित करने को (iii) यह सुविधा एक वर्ष के लिए वैध रहेगी.	यातायात
26	116	निविदा सं. ई-83ए/2020 -मुंपोट्र की सडकों का उपयोग करने के लिए प्रभार वसूली हेतु लाइसेंस के लिए ई-निविदा तथा ई-नीलामी. - उच्चतम बोली को स्वीकृति.	मंडल ने निम्न को अनुमोदन प्रदान किया- (i) निविदा समिति द्वारा यथा प्रस्तुत सड़क प्रभार वसूली केंद्रों की सुपुर्दगी की तिथि से 36 महीनों की संविदा अवधि के साथ निर्मला ऑटो केयर सेंटर की ₹24,51,101 प्रति माह राशि (जीएसटी को छोडकर)(जीएसटी लाइसेंस फीस के अलावा अतिरिक्त देय है) के उच्चतम प्रस्तावों की स्वीकृति को, तथा (ii) प्रभार वसूली केंद्रों की सुपुर्दगी की तिथि से 36 महीनों की अवधि के लिए ₹24,51,101 प्रति माह राशि की लाइसेंस फी के विषयाधीन कार्य को निर्मला ऑटो केयर सेंटर को प्रदान करने के अध्यक्षजी के अनुमोदन के अनुसमर्थन को.	स्थापत्य

अनु. क्र.	संकल्प संख्या	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
27	117	परामर्शी कार्य "मुंबई अंतर्राष्ट्रिय क्रूज टर्मिनल (एमआइसीटी) के उन्नयन/ आधूनिकीकरण के परियोजना हेतु संरचनात्मक अभिकल्प तथा आरेखनों का कार्य सौंपना" के हेतु अतिरिक्त मद निष्पादन.	मंडल ने ₹40,00,000 राशी के अतिरिक्त निष्पादन, जीएसटी को छोडकर, विषयाधीन परामर्शी कार्य आइआइटी मद्रास को सौंपने के मुख्य अभियंता के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया.	स्थापत्य
28	118	30 जून 2021 को हुई मंडल की बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई की रिपार्ट.	मंडल ने कार्यसूची को नोट किया.	सामान्य प्रशासन
29	119	'जहाँ है जैसे है' आधार पर वेयर हाउसों के रुप में उपयोग हेतु लाइसेंस आधारपर इच्छुक बोलीकर्ताओं को 10 भूखंडों के आबंटन के लिए निविदा.	चर्चा के बाद, मंडल ने निम्न को अनुमोदन प्रदान किया - (i) निविदा प्रस्ताव पर कार्यवाही के लिए यातायात प्रबंधक, वित्तीय सलाहकार तथा मुख्य लेखा अधिकारी और मुख्य अभियंता को शामिल कर एक निविदा समिति गठित करने को, (ii) उक्त पैरा 18.2 तथा 19 में दिये सुझाव के अनुसार निविदा के कागजातों में विभिन्न धाराओं में किये जाने को आवश्यक जोड़ तथा अनुदेशों सहित कार्यालय नोट सं.7640 (अनुलग्नक I) में यथा उल्लिखित, संपदा, विधि तथा लेखा द्वारा सुझावों/सुधारों को शामिल करके निविदा आमंत्रित करने को, (iii) 19.6.2021 को हुई बैठक के दौरान एलएसी द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार तथा न्यास सं.90 दिनांक 30.6.2021 के तहत मंडल द्वारा किये अनुमोदन के अनुसार विषयाधीन निविदा के लिए दरें लागू करने को,	यातायात

अनु. क्र.	संकल्प संख्या	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
			(iv) बोलीकर्ता को आधार दर के उपर प्रिमियम राशि का प्रस्ताव देना होगा, जिससे उच्चतम प्रिमियम के आधार पर आगे आबंटन का निर्णय होगा. (v) गोदामों की मरम्मत करने के लिए 2 महीनों की अवधि अधिस्थगन काल के रुप में प्रदान करके उसे उचित तरीके से प्रलेखित किया जाए ताकि मरम्मत के बहाने आगे विस्तारण को रोका जा सकें.	
30	120	मुंपोट्र की भूमि पर निजी पार्टियों द्वारा थोक पण्यों के लिए जैसे कि सीमेंट, फ्लाईॲश आदि अस्थायी साइलोज का संस्थापन.	मंडल ने निम्न को अनुमोदन प्रदान किया- (i) प्रस्ताव पर कार्यवाही के लिए यातायात प्रबंधक, वित्तीय सलाहकार तथा मुख्य लेखा अधिकारी और मुख्य अभियंता को शामिल कर एक निविदा समिति गठित करने को, (ii) टिप्पणी के पैरा 2 तथा एलएसी रिपोर्ट के अनुसार रुचि की अभिव्यक्ति (इओआइ) जारी करने को, (iii) 19.6.2021 को हुई बैठक के दौरान एलएसी की सिफारिशों के अनुसार विषयाधीन निविदा के लिए दरें लागू करने को, (iv) बोलीकर्ता को आधार दर के उपर प्रिमियम राशि का प्रस्ताव देना होगा, जिससे उच्चतम प्रिमियम के आधारपर आगे आबंटन का निर्णय होगा.	यातायात
31.	121	घरेलू क्रूज जहाजों को 40% छूट का विस्तारण.	चर्चा के बाद, मंडल ने सभी घरेलू जहाजों को 2019 से 40% छूट का विस्तारण के लिए अनुमोदन प्रदान किया. इस निर्णय की समीक्षा क्रूज जहाजों के प्रशुल्कों के युक्तीकरण की समीक्षा के साथ 31.3.2022 के बाद की जायेगी.	यातायात

अनु. क्र.	संकल्प संख्या	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
32.	122	मुंपोट्र के टाउनशिप क्षेत्रों में गैर - आवासीय अधिभोग हेतु 1.10.2012 से प्रभावी 30.9.2017 तक के लिए दरमानों का (एसओआर) का नियतन तथा किराये/क्षतिपूर्ति का संशोधन.	मंडल ने निम्न को अनुमोदन प्रदान किया- (i) पैरा 4(ए), (बी), (सी) तथा (डी) में प्रस्तावित कार्रवाई को, (ii) पैरा 5 में प्रस्तावित कार्रवाई अनुसार एक समिति गठित करने तथा मंडल को सिफारिशें प्रस्तुत करने को, (iii) पैरा 7 (ए) तथा (बी) में प्रस्तावित कार्रवाई के अनुसार असम्मिलित अधिभोगों हेतु एक अलग प्रस्ताव प्रस्तुत करने को, (iv) पैरा 8 में प्रस्तावित कार्रवाई के अनुसार 1.10.2012 से प्रभावी 30.9.2017 तक के दरमानों के अनुमोदन हेतु टैम्प को प्रस्ताव प्रस्तुत करने को (v) दिनांक 13.8.2019 के एलएसी के अनुमोदन को	संपदा
33	123	मझगाँव डॉक शिपबिल्डर्स लि. (एमडीएल) को पट्टे पर दिये गये मुंपोट्र की भूमि के भूखंड/जल क्षेत्र अर्थात - (i) उत्तर यार्ड (20801642) में विस्तारचरण, तथा (ii) अतिरिक्त स्लिप-वे के लिए (20801652) अतिरिक्त जल क्षेत्र - के संबंध में उचित बाजार मूल्य तथा दरमानों के नियतन हेतु मूल्यांकन रिपोर्ट पर विचार करना.	मंडल ने एमडीएल के 4 समाप्त पट्टोंधारण बिलिंग कोड संख्या 20801640, 20801642, 20801650 तथा 20801652 के संबंध में एलएसी की निम्नलिखित सिफारिशों को अनुमोदन प्रदान किया; (i) वर्ष 1.10.2017 से 30.9.2018 तक के लिए श्री अविनाश पेंडसे की रिपोर्ट पर आधारीत यथा व्युत्पन्न भूमि के उचित बाजार मूल्य उच्चतर बाजू में होने के कारण दरमान (एसओआर) के नियतन हेतु ₹1,70,240 के रुप में अंगीकार करना. इसी प्रकार श्री अविनाश पेंडसे द्वारा यथा संस्तुत, बेसिन/जलक्षेत्र के लिए उचित बाजार मूल्य ₹85,120 प्रति चौ. मीटर होगा,	संपदा

अनु. क्र.	संकल्प संख्या	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
			(ii) भूमि/बेसिन दर पर आधारित भूमि मूल्य के 6% प्रति वर्ष प्रतिफल के दर से दरमान एफएसआइ 1 के लिए ₹10,214.40 प्रति चौ.मीटर प्रति वर्ष होगा तथा बेसिन/जलक्षेत्र के लिए ₹5,107.20 प्रति चौ मीटर प्रति माह होगा; (iii) उक्त दरमान हर अक्टूबर को 4% वार्षिक वृद्धि के साथ 1.10.2017 से 30.9.2022 तक की अवधि के लिए लागू होंगे, (iv) यह दर एमडीएल के 4 समाप्त पट्टों के भूखंडों धारण बिलिंग कोड संख्याएं 20801640, 20801642, 20801650 तथा 20801652 जो रेडी रेकनर झोन 10/80 के अधीन है केवल उनके लिए लागू होगा; (v) एलएसी के अनुमोदन के बाद, प्रस्ताव को टैम्प के पास उनका अनुमोदन प्राप्त करने हेतु भेजा जाएगा; (vi) संशोधित दरों पर देयों को तदनुसार न्या. सं सं. 46 दिनांक 31.5.2019 के परिणामवश सूचित किए गए दरों में संशोधन पर पट्टे के नवीनीकरण हेतु प्रस्ताव के प्रति एमडीएल को सूचित किया जायेगा.	

अनु. क्र.	संकल्प संख्या	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
34.	124	निविदा सं. एमइइडी. 08/2019 के अधीन व्हीटीएस सामग्री का आयात: सीमा शुल्क छूट प्रमाणपत्र के अभाव में वार्टसिला व्होयेज लि. के जरिए मुंबई बंदरगाह के व्हीटीएमएस का आवर्धन/प्रतिस्थापन	चर्चा के बाद, मंडल ने निम्न को अनुमोदन प्रदान किया - (i) वास्तविक बिल ऑफ लैंडिंग बीओइ (दस्तावेजी प्रमाण) के अनुसार गैर आरएफ तथा प्रतिपूर्त (लगभग 15-16 एल) "सीमाशुल्क" के लिए वार्टसिला व्होयेज लि. के नाम पर गैर-आरएफ सामग्री आयात करने को (ii) मुंपोट्र के नाम पर आरएफ सामग्री आयात करने को तथा "सीमा शुल्क" (लगभग 18 एल 49 मूल सीमा शुल्क) तथा आइजीएसटी का भुगतान सीधे मुंपोट्र द्वारा करने को (दस्तावेजी प्रमाण) तथा अंतिम इनवायस तद्नुसार आइजीएसटी के लिए समायोजित करने को	संयुक्त निदेशक (योजना और अनुसंधान)
35.	125	तृतीय रसायन पोत घाट का निर्माण -सागरमाला के अधीन निधि की मांग करना.	चर्चा के बाद, मंडल ने तृतीय रसायन पोतघाट परियोजना के साथ पोर्ट के शोअर टू शिप पावर सपलाइ, स्कैडा, इआरपी, इको पार्क, 16/17 इंदिरा गोदी में खंडजा लगाना, जवाहर द्वीप स्थित भूमि उध्दार के आसपास बंड का निर्माण, एमआइसीटी निकर्षित सामग्री का पुनर्चक्रण तथा अध्यक्षजी के अनुमोदन से इस वित्तीय वर्ष हेतु सागरमाला योजना के अधीन लंगरगाह परियोजनाओं में गहरे डुबाव युक्त जहाजों की सम्हलाई हेतु सुविधा के निर्माण के लिए मंत्रालय से निधि की मांग करने की संभाव्यता को तलाश करने को अनुमोदन प्रदान किया.	स्थापत्य
